

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना
 गेन्ही देवी बनाम राज ठाकरा
 इजरायल नं० ०५ सन् २०२५

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
------------------------------------	--

२५-५-२५ का कागज पर प्रेषित जा. प्र.
 पत्रावली को रोक कर दिया गया है
 किन्ती उक्त पत्रावली का कार्य
 स्थान काफ़ेस न हो के डिडी
 के मातुलक माहकक गरी हो
 पत्रावली एक पत्रिका गोपरे डि
 १५-५-२५ को प्रेषित है

उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

१५-५-२५ आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सच नीमराना द्वारा कार्य
 स्थान किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व
 प्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक २५.५.२५
 को पेश हो।

रीडर

२५/०५५ आज यह पत्रावली पेश हुई... प्रार्थना...
 को समय...
 चाहते हैं। पत्रावली वास्तु...
 दिनांक १३-२-२५... को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

३४-११-२५ आज यह पत्रावली तहसीलदार जीरवाड़ा के
 फास क्रमांक २०५३ दिनांक २४-११-२५ से संबंध
 होकर पेश हुई। पत्रा.मं.इ.नं. ३५०। दिनांक
 ०१-१-२५ द्वारा दर्ज होकर पालका के
 पुत्री के। पत्रा.मं.को-दिल्ली
 मुकद. के.के. नं. २२५ ह.के.
 हो बाद फा.के. का.के. नं. २२५
 हो।

जयचण्ड अधिकारी
 जयचण्ड (को.पु.मं. - कलकत्ता)

जयचण्ड अधिकारी
 (को.पु.मं. - कलकत्ता)

जयचण्ड अधिकारी
 (को.पु.मं. - कलकत्ता)

जयचण्ड अधिकारी
 (को.पु.मं. - कलकत्ता)